

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 17/2016



1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

बनाम

1. मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री सुरेश बंशीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक: 16-03-18

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा ग्राम पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 7/46 रकबा 07 बिस्वा संवत 2010 में खातली किस्म की भूमि होना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में पुनः उक्त प्रश्नगत भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु, यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरण होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेश हुआ।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा



रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 17/2016

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीलवा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 7/46 रकबा 07 बिस्वा भूमि अभिलेख संवत् 2010 में खातली दर्ज रिकार्ड थी इसके पश्चात भूमि एकीकरण अभिलेख संवत् 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नं. 15/9 रकबा 07 बिस्वा बने, एवं भूमि बन्दोबस्त अभिलेख संवत् 2041-60 में खसरा नं. 149 रकबा 0.08 है0 किस्म खातली दर्ज किया गया एवं रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2067-70 में खसरा नं. 149 रकबा 0.08 है0 किस्म खातली खातेदार मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी जरिये उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 149 रकबा 0.08 है0 मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा को आवंटन की गई थी। जो नामान्तरकरण सं. 316 दिनांक 15.12.2005 द्वारा मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई तथा नामान्तरकरण सं. 399 दिनांक 14.01.2008 द्वारा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। जमाबन्दी संवत् 2067-70 अनुसार खाता सं. 177 में उल्लेखित उक्त अराजी भूमि खसरा नं. 149 रकबा 0.08 है0 किस्म खातली खातेदार मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रैफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

अति० कलकत्ता
दौसा



रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 17 / 2016

हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि साबिक खसरा नं. 7/46 रकबा 07 बिस्वा भूमि अभिलेख संवत् 2010 में खातली दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें से खसरा नं. 149 रकबा 0.08 है0 किस्म खातली, उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा आवंटन किये जाने पर खातेदार मन्नी पत्नि बन्सी जाति माली निवासी पीलवा तहसील दौसा जिला दौसा के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म खातली दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 16-03-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)

अति० जिला कलक्टर दौसा